

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है
2. पिता/पति का नाम
3. वर्तमान धारित पद
4. वर्तमान वेतन
5. अगली वेतनवृद्धि
6. वर्तमान पद का कुल वेतन

धरमपाल सिंह रावत  
 2-हरी रामपुर  
 जूलाई - 2015

उस जिले, तहसील तथा ग्राम नाम, जिसमें स्थित हो।	समाग, संपत्ति का नाम, जिसमें स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खर्च, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	से	अभियुक्ति
1	02	03	04	05	06	07	08		09
जिला - जलंधर	एक गृह	लीस एक	कृषि भूमि	2,60,000/-	स्वयं के नाम पर धारित	पेट्रिक सम्पत्ति	2,60,000/-		धरमपाल सिंह रावत
जिला - जलंधर	एक अन्य एक भूतल पेट्रिक सम्पत्ति	पेट्रिक सम्पत्ति			स्वयं के नाम पर धारित				

जहां लागू न हो काट दीजिये।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र नर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर  
 धरमपाल सिंह रावत  
 2-हरी रामपुर